

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक:- मुसप्र/2024/149

दिनांक:- 12/06/24

कार्यालय आदेश

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जोधपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर के अधीन सेक्टर 1 से 4, कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना, जोधपुर में अनिस्तारित 14 रहवासीय भूखण्डों का निस्तारण नीलामी के माध्यम से निस्तारण करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	आवास संख्या	आय वर्ग	योजना का नाम
1.	1-C-483-A	MIG-II	कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना
2.	1-C-483-B	MIG-II	कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना
3.	1-C-484	HIG	कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना
4.	2/527	HIG	कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना
5.	2/1651	EWS	कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना
6.	2/1883	MIG-II	कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना
7.	2/1884	MIG-II	कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना
8.	2/1885	MIG-II	कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना
9.	2/1886	MIG-II	कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना
10.	3-K-31B	MIG-II	कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना
11.	3-Q-21	LIG	कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना
12.	3-Q-22	LIG	कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना
13.	3-Q-23	LIG	कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना
14.	3-Q-24	LIG	कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना
TOTAL			14

उपरोक्त वर्णित 14 रहवासीय भूखण्डों को उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जोधपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर द्वारा की गई अनुशंषा एवं मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी, जो निम्नानुसार है:-

- आवासीय योजना में आवास/प्लेट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/प्लेट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
- आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर इस तथ्य का प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
- आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
- नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
- आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prajeen Kumar Agarwal

Designation : Chief Executive Officer

RajKaj Ref
7939023

Date: 2024.06.12 07:20:37 IST

Reason: Approved



प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय,, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत-मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
10. प्रभासी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar
Agarwal

Designation : Chief Estate Officer

Date: 2024.06.12 07:20:37 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref
7939023

संयुक्त एनालिस्ट